सेवा में,

श्रीमान् रजिस्ट्रार महोदय,
माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

विषय :— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ०ए० स०—350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में दिनांक 10.10.20220 16.08.2022 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि मेसर्स नारायण ब्रिक फील्ड ग्राम कोरवां पोस्ट बिठूली भोजपुर तहसील लालगंज जिला रायबरेली के विरूद्ध माननीय हरित राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में ओ०ए० सं0—350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में योजित वाद में पारित आदेश के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक सं0 599/N—8/G/R/2022—23 दिनांक 28.10.2022 एवं जिलाधिकारी महोदय रायबरेली के पत्रांक सं0 595/N—8 G/R/2022—23 दिनांक 21.10.2022 के माध्यम से ईंट भट्ठे के विरूद्ध प्रेषित शिकायत तथा जांच आख्या की प्रति प्राप्त कराई गयी, तत्कम में शिकायत में उल्लिखित बिन्दुओं के बारे में मेरा निम्न कथन है —

1— ईंट भट्ठे की स्थापना मेरे पिताजी श्री संतोष कुमार बाजपेयी द्वारा वर्ष 1998—99 में की गयी थी, उस समय ईंट भट्ठे की स्थापना हेतु जिला पंचायत की उप विधियों के अनुरूप ईंट भट्ठे की स्थापना किया जाना प्राविधानित था, जिसके अनुसार किसी ईंट उद्योग की स्थापना आबादी क्षेत्र से दो सौ मीटर की दूरी के अन्दर नही किया जायेगा। ग्राम कोरवां व हरिकिशुन खेड़ा गांव की दूरी मेरे भट्ठे से 500 मीटर से अधिक है। शिकायतकर्ता द्वारा उ0प्र0 पर्यावरण अनुभाग संख्या 921/55—पर्या0/12—94(पर्या0)/11 लखनऊ दिनांक 27 जून 2012 को जारी शासनादेश का उल्लेख किया गया है। जबकि मेरे भट्ठे की स्थापना पुरानी नियमावली के

अनुसार की गयी है। चूंकि इस भट्ठे का निर्माण 1998–99 में किया गया था तथा पुराना है। अतः इस भट्ठे में किसी प्रकार के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भविष्य में आप द्वारा दिये गये नियमों का पालन करने हेतु बाध्यकारी रहेगा। शिकायतकर्ता का उक्त आरोप पूर्णतया निराधार है।

2– वर्ष 1998–99 के जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप भट्ठे की स्थापना की गयी थी। स्थापना वर्ष के समय चिकित्सालय की दूरी जिला पंचायती नियमानुसार 200 मीटर के अंदर होनी चाहिए थी, उसी दिशा निर्देश के आधार पर भट्ठे की स्थापना की गई है। जिसमें कि इस ईट भट्ठे की स्थापना हेतु पर्यावरण विभाग 27 जून 2012 के नये निर्देश प्रभावी नही होते है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय की दूरी 200 मीटर से अधिक है। इस ईंट भट्ठे के पास स्थापित रामगंगा महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 2015 में की गयी थी जबकि भट्ठे की स्थापना वर्ष 1998–99 उक्त स्थान पर संचालित है।

3– वर्ष 1998–99 के जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप भट्ठे की स्थापना की गयी थी, अतः 100 मीटर की दूरी के अन्दर का नियम लागू नही होता है।

4– ईंट भट्ठे के आस पास 800 मीटर की दूरी तक कोई भी फलदार एक एकड़ का बगीचा नही है। जिसमें 100 फलदार वृक्ष हों।

5– ईंट भट्ठे के आस पास धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए एक दीवार का निर्माण किया गया था। जिसकी मरम्मत का कार्य ईंट भट्ठा संचालन के उपरांत करा लिया जायेगा।

6– ईंट भट्ठे में पथाई का कार्य बन्द है, क्योंकि अधोहस्ताक्षरी के पिता श्री संतोष कुमार बाजपेयी द्वारा पूर्व मे भट्ठे का संचालन किया जा रहा था संचालन कर्ता श्री संतोष कुमार बाजपेयी की लंम्बी बीमारी व दिनांक 10.09.2020 में

क्रमशः————3—

उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वर्ष 2014 से भट्ठे का संचालन नही किया जा सका, अतः पथाई का कार्य बंद था। (पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है)।

अतः महोदय पुनः निवेदन है कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में दिये गये तथ्य नई गाइडलाइन के अनुसार है, जबक भट्ठा काफी पुराना है। अतः उपरोक्त बिन्दुओ पर उ०प्र० शासन पर्यावरण अनुभाग संख्या 921/55–पर्या0/12–94 (पर्या0)/11 लखनऊ दिनांक 27 जून 2012 को जारी शासनादेश प्रभावी नही होगें।

अग्रहर अद्योहस्ताक्षरी वर्णित ईंट भट्ठे का संचालन हेतु समस्त नियमों का अनुपालन करने हेतु बाध्यकारी रहेगा सूचनार्थ एवं सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करें।

महान दया होगी अद्योहस्ताक्षरी सदैव आपका ऋणी रहेगा।

सादर!

प्रार्थी,

दिनांक :– 10.11.2022

(आकाश कुमार बाजपेई)
पुत्र स्व0 संतोष कुमार बाजपेई
निवासी–भोजपुर रायबरेली

भारत सरकार

Government of India

[illegible]

[illegible]

जन्म तिथि / DOB : [illegible]

पुरुष / Male

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

पता: Address:

[illegible]

1947

1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

सेवा मे, श्रीमान जिलाधिकारी, रायबरेली

(5)

विषय- अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठे को बन्द करवाने के सम्बन्ध में।

महोदय, निवेदन है कि मैं महेश कुमार ग्राम- भोजपुर पोस्ट भोजपुर ब्लाक व थाना - सरेनी, जिला - रायबरेली का निवासी हूं। मेरे गांव के बगल ग्राम कोरवां, पोस्ट - बिठुली, ब्लाक व थाना - सरेनी जिला - रायबरेली में 'नारायण ब्रिक फील्ड्स' नाम से ईंट भट्ठा संचालित है, जो कि उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण अनुभाग संख्या 921/55-पर्या/12-94(पर्या)/11 लखनऊ दिनांक 27 जून 2012 के शासनादेश एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार संचालित नहीं है केवल पैसों के बल पर स्थानीय प्रशासन से साठ-गांठ कर संचालित किया जा रहा है। ईंट भट्ठे संचालन के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है जो कि शासनादेश में उल्लिखित हैं-

1- आवासीय क्षेत्र में 20 कच्चे या पक्के घर हो एवं जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्तियों की हो उससे 1 किमी० दूर ही ईंट भट्ठे का संचालन होगा जबकि ग्राम में ही हरकिशुन खेड़ा एवं गांव नारका है जिनकी दोनो को मिलाकर जनसंख्या 300 से अधिक है।

2- कोई ईंट भट्ठा- रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल आदि के 1 किमी० परिधि में नहीं संचालित होना चाहिए जबकि ईंट भट्ठे के कम्परा में ही 'रामगंगा' महाविद्यालय संचालित है एवं ईंट भट्ठे के 200 मीटर दूर प्रा०वि० कोरवां एवं ANM सेंटर कोरवां संचालित है।

3- कोई ईंट भट्ठा लोक निर्माण विभाग की सड़को के 100 मीटर दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए जबकि उक्त ईंट भट्ठा 100 मीटर के अन्दर स्थापित है।

4- कोई भी ईंट भट्ठा आम के बगीचे / मिश्रित फलो (आम और अन्य) बगीचों (जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष हो) के 800 मीटर (प्रत्येक दिशा में) के अन्दर स्थापित नहीं होना चाहिए जबकि इस दूरी के भीतर फलदार वृक्षो का बगीचा है. जोकि रोड के बगल धुरेमण्डेग बाबा भोजपुर मार्ग पर है।

5- तत्कालिक धूल ~~का~~ उत्सर्जन को रोकने के लिए 3 मीटर की ऊँचाई की एक दीवार का निर्माण किया जाना चाहिए जबकि ऐसा नहीं किया गया।

[P.T.O]

Scanned with OKEN Scanner

6– ईंटो की पथाई के लिए एतदर्थ चिन्हित क्षेत्र में मिट्टी की खुदाई करते समय भूमि की खड़ी कटाई न की जाय अपितु ढालदार रीति में 1:3 के अनुपात में की जानी चाहिए जिससे कृषि भूमि का क्षरण न्यूनतम हो, जबकि भट्टा मालिक द्वारा JCB मशीन से इस तरह खड़ी खुदाई तीन मीटर से अधिक कराई जा रही है जिससे बगल की उपजाऊ भूमि का अत्यधिक क्षरण हो। खुदाई कराई गयी जमीन की लोकेशन इस प्रकार है –

(क) ईंट भट्ठे के बगल पश्चिम दिशा में सुखनन्दन पुत्र कुल्हण के खेत में हाईटेंशन लाइन के पास

(ख) श्रीकान्त पाण्डेय के खेत में खसरा नं० 91 मिश्रानकपुर

(ग) आनन्दनगर (मिश्रानकपुर) के पास श्री त्रिवारी के बगीचे में।

प्रार्थी श्रीमान जी से निवेदन करता है कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों एवं गांव के लोगों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित को निर्देशित कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें महान दया होगी।

दिनांक –
10-01-2022

प्रार्थी
महेशकुमार
ग्राम - भोजपुर
ब्लाक बछरावां - सेरेनी
जिला - रायबरेली
(उ०प्र०)

संलग्नक
(1) ईंट भट्ठे के संचालन हेतु उ०प्र० शासन (पर्यावरण अनुभाग) का शासनादेश

भारतीय डाक
India Post
RU...IN
RL LALGANJ RAEBARELI HO
Counter No:5, 11/01/2022, 11:15
To: DM OFFICE, RAEBARELI
PIN: 229001, Raebareli HO
From: MAHESH KUMAR, BHOJPUR
Wt: 25gms
Amt: 27.00 (Cash)
(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Wear Masks, Stay Safe)

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– 599/N-8/G/2022-23 दिनांक– 28/10/22

सेवा में,

मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड,
द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई,
ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर,
तह0–लालगंज, जनपद– रायबरेली।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक–10.10.2022 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। अवगत हों कि आपके ईंट उद्योग के विरूद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के माध्यम से योजित वाद में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक–10.10.2022 को पारित आदेश जिसके सुसंगत अंश निम्नवत है–

5. In view of above, notice be issued again to the Project Proponent requiring him to file his response/reply to the averments made in the application/observations made in the report of the Joint Committee within two month at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF and copies of the notice be sent to the District Magistrate, Rae Bareli and Regional Officer, UPPCB who are directed to serve the same on the project proponent and file their reports in this regard within three weeks from today. It is clarified that in case of their failure to do so, heavy costs may be imposed on them for non compliance with this order.

6. List for further consideration on 30.01.2023. ………."

उपरोक्त पारित आदेश के क्रम में अवगत हों कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के अभिलेखानुसार आपके ईंट उद्योग को पूर्व में दिनांक–31.12.2014 तक की अवधि हेतु ही संचालन हेतु सहमति निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात आप द्वारा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं की गयी। ईंट उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक–15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश भी निर्गत है। प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक–16.08.2022 के अनुपालनार्थ आपको पत्र संख्या–491/एन–8/जी/आर/2022–23 दिनांक–09.09.2022 द्वारा भी निर्देशित किया जा चुका है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण दिनांक–10.10.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रेषित आवेदन की प्रति, संयुक्त कमेटी की जांच आख्या आदि पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ पुनः प्रेषित की जा रही हैं कि मा0 अधिकरण में प्रेषित श्री महेश कुमार का आवेदन एवं संयुक्त कमेटी की जांच आख्या में दिए बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना पक्ष 01 सप्ताह के अन्दर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को ई–मेल–judicial-ngt@gov.in पर प्रेषित करते हुए इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का अनुपालन ससमय सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी 28/10/22

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, जनपद–रायबरेली
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद–रायबरेली।

क्षेत्रीय अधिकारी

497/LP/2022
25/3/22
(3)

सेवा मे,
श्री मान अध्यक्ष
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
भारत सरकार, नईदिल्ली

विषय- बगैर मानक अवैधरूप से संचालित ईट-भट्ठे को बन्द करवाने के सम्बन्ध में।

महोदय, निवेदन है कि मै महेश कुमार पुत्र श्री अम्बर ग्राम व पोस्ट भोजपुर, ब्लाक व थाना-सरेनी, तहसील-लालगंज, जिला-रायबरेली उत्तरप्रदेश का निवासी हूं। मेरे गाँव के बगल ग्राम-कोरवाँ पोस्ट-बिहूली ब्लाक व थाना-सरेनी, तहसील-लालगंज, जिला-रायबरेली उत्तरप्रदेश में 'नारायण ब्रिक फील्ड' नाम से ईट भट्ठा संचालित है, जिसके मालिक आकाश बाजपेयी पुत्र सन्तोष बाजपेयी हैं। उक्त ईट भट्ठा उत्तरप्रदेश शासन पर्यावरण अनुभाग संख्या 921/55-पर्या/12-94 (पर्या)/11 लखनऊ दिनॉक 21 जून 2012 को जारी शासनादेश में दिए गए निर्देशो एवं NGT नईदिल्ली के निर्देशो का उल्लंघन किया जा रहा है। उक्त ईट भट्ठे का संचालन स्थानीय प्रशासन से साठ-गाँठ कर संचालित किया जा रहा है। ईटभट्ठे के संचालन के बिन्दु निम्न हैं-

1 - आवासीय क्षेत्र में 20 कच्चे या पक्के घर हों एवं जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्तिओं की हो उससे 1 किमी- दूर ही ईट भट्ठे के संचालन होगा जबकि पास में ही ग्राम हरिकिशुनखेड़ा एवं गाँव कोरवां है जिनकी दोनों गाँव को मिलाकर जनसंख्या 300 से अधिक है।

2- कोई ईट भट्ठा रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल आदि के 1 किमी० परिधि में नही संचालित होना चाहिए जबकि ईट भट्ठे के कैम्पस मे ही 'राम गंगा' महाविद्यालय संचालित है एवं ईट भट्ठे के बगल 200 मीटर दूर प्राथमिक विद्यालय एवं ANM सेन्टर कोरवां है।

3- कोई भी ईट भट्ठा लोक निर्माण विभाग की सड़क के 100 मीटर के भीतर स्थापित नही किया जाना चाहिए जबकि उक्त ईटभट्ठा 100 मीटर के अन्दर ही स्थापित है।

4- कोई भी ईट भट्ठा आम के बगीचे/ मिश्रित फलो (आम और अन्य) बगीचो (जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष हों) के 800 मीटर (प्रत्येक दिशा में) के अन्दर स्थापित नही होना चाहिए जबकि इस दूरी के भीतर एक एकड़ से अधिक क्षेत्र में फलदार वृक्षों का बगीचा है जोकि रोड के बगल भूरेपाण्डेय वाया भोजपुर-कोरवां मार्ग पर है

U.R.G.
24-03-2022
L.P.

Principal Bench
Received
24 MAR 2022
Dairy No. 1861

[P.T.O.]

5 तत्कालिक धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए 3 मीटर की ऊँचाई की एक दीवार का निर्माण किया जाना चाहिए जबकि ऐसा नहीं किया गया। (5)

6- ईंटों की पथाई के लिए एतदर्थ चिन्हित क्षेत्रों में मिट्टी की खुदाई करते समय भूमि की खड़ी कटाई न की जाये अपितु ढालदार रीति में 1:3 के अनुपात में की जानी चाहिए जिससे कृषि भूमि का क्षरण न्यूनतम हो जबकि ईंट भट्ठा मालिक द्वारा JCB मशीन से विगत लगभग एक दशक से लगभग 75 एकड़ जमीन में तीन मीटर से अधिक गहरी सीधी खुदाई कराई गयी जिसकी ना ही पर्यावरण विभाग की अनुमति ली गयी एवं ना ही खनन विभाग की वीरान होता जा रहा एवं तालाब रूप में परिवर्तित हो गया है। बुरा क्षेत्र खुदाई करायी जा रही जमीन की लोकेशन इस प्रकार है—

(क)- ईंट-भट्ठे के बगल पश्चिम दिशा में श्यामसुन्दर पुत्र कुल्हण के खेत में हाईटेंशन बिजली लाइन के पास

(ख) श्रीकान्त पाण्डेय के खेत में- विशायकपुर खसरा संख्या-91

(ग) आजादनगर, विशायकपुर के पास घून तिवारी के बगीचे में।

प्रार्थी श्रीमान जी से निवेदन करता है कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों, गाँव के लोगों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उक्त ईंट भट्ठे के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगवाने की कृपा करें महान दया होगी।

दिनांक
21-3-2022

संलग्नक
1- श्रीमान जिलाधिकारी रायबरेली को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति
2- सदस्य सचिव उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ
3- अधिशासी अधिकारी लालगंज द्वारा डी०एम० रायबरेली को प्रेषित आख्या
4- उ०प्र० शासन द्वारा जारी ईंट भट्ठा संचालन हेतु शासनादेश

प्रार्थी
महेश कुमार पुत्र अम्बर
ग्राम व पोस्ट- भोजपुर
ब्लाक व थाना- सरेनी
तहसील- लालगंज
जिला- रायबरेली
(उ०प्र०)
पिन कोड- 229202
मो०- 9451922628

Scanned with OKEN Scanner

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH

(By Video Conferencing)
Original Application No.350/2022

Mahesh Kumar ...Applicant

Versus

State of U.P. ...Respondent

Date of hearing: 16.08.2022

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None.
Respondents: Mr. Daleep Dhyani, Advocate for UPPCB.
Mr. Pradeep Kumar Vishwakarma, Regional Officer of UPPCB.

Application is registered based on a complaint received by Post.

ORDER

1. The grievance made in the present letter petition sent by Mr. Mahesh Kumar resident of village Bhojpur, Block and Police Station Sareni Tehsil Lalganj, District Rae Bareli, Uttar Pradesh is that Narayan Brick kiln is being run by Akash Bajpayee son of Santosh Bajpayee in adjoining village Korba Block and Police Station Sareni Tehsil Lalganj, District Rae Bareli, Uttar Pradesh in violation of environmental norms, rules and regulations damaging the environment and posing health hazards to the inhabitants. Location of the brick kiln is violative of siting criterion as Harkishnu Khera and Korba villages having population of more than 300 persons are situated nearby besides Ram Ganga School in its premises, primary school and ANM Centre at the distance of 200 meters, orchard having minimum 100 fruit bearing trees within 800 meters and PWD Road within 100 meters. Three meter wall has not been constructed to prevent spreading of dust and mining of top soil from

Scanned with OKEN Scanner

agricultural fields upto the depth of more than 3 meters has been done converting the same into pond.

2. Vide order dated 19.05.2022, this Tribunal constituted a Joint Committee comprising of the State PCB and District Magistrate, Rae Bareli and directed the same to submit factual and action taken report within two months. The relevant part of the order reads as under:-

> *"On due consideration of the matter, we are of the view that the allegations made in the present letter require due verification and immediate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee of the State PCB and District Magistrate, Rae Bareli and direct the Joint Committee to meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant and take requisite action by following due process of law. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. Factual and action taken report particularly in terms of meeting siting criteria, compliance with consent conditions and Guidelines issued by the MoEF & CC dated 22.02.2022 may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF...."*

3. In compliance thereof, Mr. Pradeep Kumar Vishwakarma, Regional Officer of Uttar Pradesh PCB has filed the Joint Committee report vide letter dated 29.06.2022.

4. Notice alongwith copies of the application and report of the Joint Committee be issued to the Project Proponent- Narayan Brick kiln through Akash Bajpayee son of Santosh Bajpayee, village Korba Block and Police Station Sareni, Tehsil Lalganj, District Rae Bareli, Uttar Pradesh, State PCB and District Magistrate, Rae Bareli requiring them to file their response/reply to the allegations made in the application/observations made in the report of the Joint Committee within one month at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 10.10.2022.

Scanned with OKEN Scanner

6. Notice be served on the Project Proponent through District Magistrate, Rae Bareli and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Magistrate, Rae Bareli by E-mail for getting service of the same effected on the Project Proponent and sending his report in this regard.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

August 16, 2022
AG

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, रायबरेली।

संख्या– 595/एन-8/जी/आर/2022-23 दिनांक– 21/10/22

सेवा में,

मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड,
द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई,
ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर,
तह0–लालगंज, जनपद– रायबरेली।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक–10.10.2022 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। अवगत हों कि आपके ईंट उद्योग के विरूद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के माध्यम से योजित वाद में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक–10.10.2022 को पारित आदेश जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं–

5. In view of above, notice be issued again to the Project Proponent requiring him to file his response/reply to the averments made in the application/observations made in the report of the Joint Committee within two month at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF and copies of the notice be sent to the District Magistrate, Rae Bareli and Regional Officer, UPPCB who are directed to serve the same on the project proponent and file their reports in this regard within three weeks from today. It is clarified that in case of their failure to do so, heavy costs may be imposed on them for non compliance with this order.

6. List for further consideration on 30.01.2023. ...."

उपरोक्त पारित आदेश के क्रम में अवगत हों कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली की आख्या दिनांक–09.09.2022 के अनुसार आपके ईंट उद्योग को पूर्व में दिनांक–31.12.2014 तक की अवधि हेतु ही संचालन हेतु सहमति निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात आप द्वारा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं की गयी। ईंट उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक–15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश भी निर्गत है। प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक–16.08.2022 के अनुपालनार्थ आपको पत्र संख्या–514/एन–8/जी/आर/2022–23 दिनांक–19.09.2022 द्वारा भी निर्देशित किया जा चुका है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण दिनांक–10.10.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में में प्रेषित आवेदन की प्रति, संयुक्त कमेटी की जांच आख्या आदि पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ पुनः प्रेषित की जा रही हैं कि मा0 अधिकरण में प्रेषित श्री महेश कुमार का आवेदन एवं संयुक्त कमेटी की जांच आख्या में दिए बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना पक्ष 01 सप्ताह के अन्दर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को ई–मेल–judicial-ngt@gov.in पर प्रेषित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का अनुपालन ससमय सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(माला श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी, रायबरेली

प्रतिलिपिः– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद–रायबरेली।
2. उप जिलाधिकारी, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली
4. जिला खान अधिकारी, जनपद–रायबरेली।
5. अपर मुख्य अधिकारी, जिला–पंचायत, जनपद–रायबरेली।

जिलाधिकारी, रायबरेली

Item No.06 (Court No. 2)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPALBENCH

(By Video Conferencing)
Original Application No.350/2022

Mahesh Kumar ...Applicant

Versus

State of U.P. ...Respondent

Date of hearing: 10.10.2022

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None.
Respondents: Mr. Pradeep Mishra, Advocate along with Regional Officer of UPPCB.

Application is registered based on a complaint received by Post.

ORDER

1. The grievance made in the present letter petition sent by Mr. Mahesh Kumar resident of village Bhojpur, Block and Police Station Sareni Tehsil Lalganj, District Rae Bareli, Uttar Pradesh is that Narayan Brick kiln is being run by Akash Bajpayee son of Santosh Bajpayee in adjoining village Korba Block and Police Station Sareni Tehsil Lalganj, District Rae Bareli, Uttar Pradesh in violation of environmental norms, rules and regulations damaging the environment and posing health hazards to the inhabitants. Location of the brick kiln is violative of siting criterion as Harkishnu Khera and Korba villages having population of more than 300 persons are situated nearby besides Ram Ganga School in its premises, primary school and ANM Centre at the distance of 200 meters, orchard having minimum 100 fruit bearing trees within 800 meters and PWD Road within 100 meters. Three meter wall has not been constructed to prevent spreading of dust and mining of top soil from

agricultural fields upto the depth of more than 3 meters has been done converting the same into pond.

2. Vide order dated 19.05.2022, this Tribunal constituted a Joint Committee comprising of the State PCB and District Magistrate, Rae Bareli and directed the same to submit factual and action taken report within two months.

3. In compliance thereof, Mr. Pradeep Kumar Vishwakarma, Regional Officer of Uttar Pradesh PCB has filed the Joint Committee report vide letter dated 29.06.2022.

4. Vide order dated.19.05.2022, notice was ordered to be issued to the Project Proponent and the same was also ordered to be served through the District Magistrate, Rae Bareli who was required to send his report after service of notice on the Project Proponent. However, no report in this regard has been received from the District Magistrate, Rae Bareli.

5. In view of above, notice be issued again to the Project Proponent requiring him to file his response/reply to the averments made in the application/observations made in the report of the Joint Committee within two month at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF and copies of the notice be sent to the District Magistrate, Rae Bareli and Regional Officer, UPPCB who are directed to serve the same on the project proponent and file their reports in this regard within three weeks from today. It is clarified that in case of their failure to do so, heavy costs may be imposed on them for non compliance with this order.

6. List for further consideration on 30.01.2023.

7. A copy of this order along-with copy of the notice be sent to the District Magistrate, Rae Bareli and Regional Officer, UPPCB within one week for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr.Afroz Ahmad, EM

October 10, 2022
AG

मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक–19.05.2022 को पारित आदेश के सन्दर्भ में आख्या।

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक–19.05.2022 जिसके सुसंगत अंश निम्नवत है–

"................Narayan Brick kiln is being run by Akash Bajpayee son of Santosh Bajpayee in adjoing village Korba Block and Police Station Sareni Tehsil Lalganj, District Rae Bareli, Uttar Pradesh in violation of environmental norms, rules and regulations damaging the environment and posing health hazards to the inhabitants. Location of the brick kiln is violative of siting criterion as Harkishnu Khera and Korba villages having population of more than 300 persons are situated nearby besides Ram Ganga School in its premises, primary school and ANM Centre at the distance of 2001 meters, orchard having minimum 100 fruit bearing trees within 800 meters and PWD Road within 100 meters. Three meter wall has not been constructed to prevent spreading of dust and mining of top soil from agricultural fields upto the depth of more than 3 meters has been done converting the same into pond.

On due consideration of the matter, we are of the view that the allegations made in the present letter require due verification and immediate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee of the State PCB and District Magistrate, Rae Bareli and direct the Joint Committee to meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant and take requisite action by following due process of law. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. Factual and action taken report particularly in terms of meeting siting criteria, compliance with consent conditions and Guidelines issued by the MOEF & CC dated 22.02.2022 may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

1. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली द्वारा दिए गए निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), रायबरेली द्वारा पत्र संख्या–233/एन–8/जी/2022–23 दिनांक–09.06.2022 के माध्यम से मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड (प्रोपराईटर आकाश बाजपेयी) ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, वि0खं0–सरेनी, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली की संयुक्त जांच हेतु निम्न सदस्यों की समिति का गठन किया गया।

   1– श्री सुभाष यादव, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, रायबरेली।

   2–तहसीलदार, तह0–लालगंज, रायबरेली।

   3–जिला खान अधिकारी/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, रायबरेली।

   4–क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, रायबरेली।

Scanned with OKEN Scanner

2. उपरोक्त गठित संयुक्त कमेटी द्वारा ईंट भट्ठे मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड (प्रोपराईटर आदेश बाजपेयी) ग्राम–कोरवा, पो0–बिटूली, वि0खं0–सरेनी, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली का संयुक्त निरीक्षण दिनांक–18.06.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री रमेश कुमार, चौकीदार उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है–

(i) सन्दर्भित ईंट उद्योग रायबरेली शहर से लगभग 32 किमी0 दूर स्थित लालगंज से सरांयबैरिहा खेड़ा होते हुए भोजपुर रोड पर लगभग 24 किमी0 जाने के पश्चात ग्राम कोरवा में स्थापित है। ईंट भट्ठे का अक्षांश, देशान्तर क्रमशः 26.132755, 80.779456 है।

(ii) ईंट भट्ठे की स्थापना वर्ष क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के अभिलेखानुसार वर्ष 1998–99 है। ईंट भट्ठे को क्षेत्रीय कार्यालय से प्रथम बार सहमति वर्ष 2010 में 02.08.2010 से 31.12.2014 तक की अवधि हेतु तत्समय प्रभावी जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप निर्गत किया गया था। ईंट भट्ठे की स्थापित क्षमता 21 पाया लगभग 25000 ईंट/दिन उत्पादन की है। ईंट भट्ठे में गैसीय उत्सर्जकों के निस्तारण हेतु भूतल से लगभग 110 फीट ऊँची चिमनी स्थापित पायी गयी। निरीक्षण के समय चिमनी से सम्बद्ध ट्रेन्च में ईंट भरी हुयी तथा ईंट भट्ठे के परिसर में पक्की ईंटें भी भण्डारित पायी गयी।

(iii) माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश में दिए गए बिन्दुओं की जांच के क्रम में ईंट भट्ठा की चिमनी से पूरब दिशा में लगभग 200 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय कोरवा का भवन तथा लगभग 250 मीटर की दूरी पर ए0एन0एम0 सेन्टर भवन, उत्तर दिशा में लगभग 300 मीटर की दूरी पर ग्राम हरकिशुन खेड़ा की आबादी दृष्टिगोचर हुई। उक्त दिशा में ही ग्राम पूरे पाण्डे–भोजपुर सम्पर्क मार्ग लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। पूरब दिशा में लगभग 50 मीटर की दूरी पर रामगंगा महाविद्यालय का नवीन भवन का निर्माण किया गया है तथा उसी दिशा में ग्राम रानी खेड़ा लगभग 1.0 किमी0 की दूरी पर, पश्चिम दिशा में ग्राम भोजपुर लगभग 2.0 किमी0, दक्षिण दिशा में ग्राम विशायक पुर लगभग 1.0 किमी0 की दूरी पर स्थित है। पश्चिम दिशा में हरितालिका आई0टी0आई0 लगभग 600 मीटर पर स्थित पाया गया। ईंट भट्ठा के उत्तर दिशा में सड़क के दूसरी तरफ लगभग 30 आम, कटहल, सागौन, नीम आदि प्रजातियों के अन्य वृक्ष लगे हुए पाए गए। पश्चिम दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर कटहल आदि वृक्षों का मिश्रित बगीचा पाया गया। ईंट भट्ठे के आस–पास के कुछ भूखण्डों में लगभग 02 मीटर तक की मिट्टी खुदी हुई पायी गयी।

(iv) वर्तमान में सन्दर्भित ईंट भट्ठे को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्र संख्या–एच63463/सी–5/सा0–546/21/ईंट भट्ठा/बन्दी आदेश/रायबरेली/2021 दिनांक–15.07.2021 के माध्यम से ईंट भट्ठे को बन्दी आदेश निर्गत है। जो अद्यतन प्रभावी है। बन्दी आदेश का अनुपालन कराये जाने के क्रम में ईंट भट्ठे का उप जिलाधिकारी, तह0–लालगंज, रायबरेली के आदेश पर संयुक्त निरीक्षण दिनांक–28.05.2022 के दौरान भी ईंट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया। माननीय अधिकरण द्वारा

Scanned with OKEN Scanner

पारित आदेश दिनांक–19.05.2022 के अनुपालन में गठित समिति की जांच दिनांक–18.06.2022 को भी ईंट भट्ठा संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया।

(v) माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश में दिए गए विन्दुओं में Siting Criteria के अनुक्रम में अवगत कराना है कि ईंट भट्ठे की स्थापना क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1998–99 में की गयी थी। तत्समय जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप ईंट भट्ठे की स्थापना किया जाना प्राविधानित था। जिसके अनुसार किसी ईंट उद्योग की स्थापना आबादी, सार्वजनिक इमारत, अस्पताल, विद्यालय, ज्वलनशील पदार्थ एकत्र करने वाले स्थल आदि से 200 मीटर की दूरी के अन्दर नहीं किया जायेगा। ईंट भट्ठे पर वर्तमान में प्रभावी उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 प्रभावी नहीं है। प्रश्नगत ईंट भट्ठा को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से पूर्व मे 31.12.2014 तक की अवधि हेतु ही सहमति निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात ईंट भट्ठे द्वारा सहमति प्राप्त नहीं किया गया न ही ईंट भट्ठे के संचालन अथवा बन्दी की सूचना इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी। वर्तमान में ईंट भट्ठा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के बन्दी आदेश के अनुपालन में बन्द है। ईंट भट्ठे को क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्र संख्या–247/1-1/G/R/2022-23 दिनांक–16.06.2022 के माध्यम से ईंट भट्ठे का संचालन किसी भी दशा में नहीं करने हेतु निर्देशित भी किया गया है।

उपरोक्तानुसार संयुक्त कमेटी की जांच आख्या माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

28/6/2022
(मो0 असलम सिद्दीकी)
अनुश्रवण सहायक
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
रायबरेली

28/06/22
(मनीष यादव)
जिला खान अधिकारी
रायबरेली

28/06/22
(ज्ञान प्रकाश सिंह)
(तहसीलदार)
तह0–लालगंज

28.6.2022
(सुभाष चन्द्र यादव)
अतिरिक्त मजिस्ट्रेट
जनपद–रायबरेली

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

श्रीमान् रजिस्ट्रार महोदय,
माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

विषयः– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित बाद ओ०ए० संख्या 350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में दिनांक 10.10.2022 के सम्बन्ध में।**

महोदया,

सादर निवेदन है कि जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली के पत्रांक संख्या 595/N-8 G/R/2022-23 दिनांक 21.10.2022 एवं क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक सं0 599/N-8/G/R/2022-23 दिनांक 28.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। कृपया अवगत हो की मेसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम-कोरवाँ, पोस्ट-बिटूली भोजपुर, तहसील-लालगंज, जनपद-रायबरेली के विरुद्ध मानवीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ०ए० संख्या 350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में योजित वाद में पारित आदेश के क्रम में ईंट भट्ठे की जांच आख्या की प्रति प्राप्त करायी गई है। तत्क्रम में आपके द्वारा वांछित सूचनाएं आपेक्षित हैं, कि पूर्व में संचालित उपरोक्त ईंट भट्ठा हेतु वर्ष 2015-2021 के अन्तराल में बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गई। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त ईंट भट्ठा अधोहस्ताक्षरकर्ता के पिता श्री सन्तोष कुमार बाजपेयी द्वारा संचालित किया जाता था, पिता श्री सन्तोष कुमार बाजपेयी वर्ष 2014 से दीर्घकालिक बिमारी के चलते 10 सितम्बर 2020 को देहावसान हो गया। तत्पश्चात् ईंट भट्ठे की देखरेख का उत्तरदायित्व अयोहस्ताक्षरी के ऊपर आ गया। कृपया अवगत हों कि पिता श्री सन्तोष कुमार बाजपेयी की दीर्घकालिक बिमारी एवं कतिपय आर्थिक तंगी के कारणों से विगत वर्षों में ईंट भट्ठे का संचालन नहीं किया जा सका। इस क्रम में ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

अग्रहर अयोहस्ताक्षरी वर्णित ईंट भट्ठे के संचालन हेतु समस्त नियमों का अनुपालन करने हेतु बाध्यकारी रहेगा। सूचनार्थ एवं सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करें।

महान दया होगी अधोहस्ताक्षर सदैव आपका ऋणी रहेगा।

सादर,

संलग्नक–

1– उपरोक्तानुसार।

2– अधोहस्ताक्षरी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।

प्रार्थी,

(आकाश कुमार बाजपेयी)
पुत्र स्व0 सन्तोष कुमार बाजपेयी
निवासी भोजपुर रायबरेली

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
रायबरेली।

विषयः– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित बाद ओ०ए० संख्या 350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में दिनांक 10.10.2022 व 16.08.2022 के सम्बन्ध में।**

महोदया,

अपने पत्रांक संख्या 595/N–8 G/R/2022–23 दिनांक 21.10.2022 व 514/N–8 G/R/2022–23 दिनांक 19.09.2022 एवं क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक सं0 599/N–8/G/R/2022–23 दिनांक 28.10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। कृपया अवगत हो की मेसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवाँ, पोस्ट–बिट्ठली भोजपुर, तहसील–लालगंज, जनपद–रायबरेली के विरुद्ध मानवीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ०ए० संख्या 350/ 2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में योजित वाद में पारित आदेश के क्रम में ईंट भट्ठे की जांच आख्या की प्रति प्राप्त करायी गई है। तत्क्रम में आपके द्वारा वांछित सूचनाएं आपेक्षित हैं, कि पूर्व में संचालित उपरोक्त ईंट भट्ठा हेतु वर्ष 2015–2021 के अन्तराल में बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गई। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त ईंट भट्ठा अधोहस्ताक्षरकर्ता के पिता श्री सन्तोष कुमार बाजपेयी द्वारा संचालित किया जाता था, पिता श्री सन्तोष कुमार बाजपेयी वर्ष 2014 से दीर्घकालिक बिमारी के चलते 10 सितम्बर 2020 को देहावसान हो गया। तत्पश्चात् ईंट भट्ठे की देखरेख का उत्तरदायित्व अयोहस्ताक्षरी के ऊपर आ गया। कृपया अवगत हों कि पिता श्री सन्तोष कुमार बाजपेयी की दीर्घकालिक बिमारी एवं कतिपय आर्थिक तंगी के कारणों से विगत वर्षों में ईंट भट्ठे का संचालन नहीं किया जा सका। इस क्रम में ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

अग्रहर अयोहस्ताक्षरी वर्णित ईंट भट्ठे के संचालन हेतु समस्त नियमों का अनुपालन करने हेतु बाध्यकारी रहेगा। सूचनार्थ एवं सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करें।

महान दया होगी अधोहस्ताक्षर सदैव आपका ऋणी रहेगा।

सादर,

संलग्नक–

1– उपरोक्तानुसार।

2– अधोहस्ताक्षरी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।

प्रार्थी,

(आकाश कुमार बाजपेयी)
पुत्र स्व0 सन्तोष कुमार बाजपेयी
निवासी भोजपुर रायबरेली

विमल कुमार मिश्रा

(ग्राम प्रधान)

ग्राम पंचायत रानीखेड़ा वि० खं० सरेनी तहसील लालगंज

जनपद रायबरेली

दिनांक..................

यह प्रमाणित किया जाता है कि नारायण ब्रिक फील्ड कोरवा बिठूली रायबरेली में सभी कार्यो का संचालन (पथाई, भराई , फुकाई) वर्ष 2015 से बंद है ।

विमल कुमार

रायबरेली

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

DEPARTMENT OF MEDICAL AND HEALTH

GRAMA PANCHAYAT DULAPUR

DEATH CERTIFICATE

[illegible] SECTION 12/17 OF THE REGISTRATION OF BIRTHS & DEATHS ACT, 1969 AND RULE 8/13 OF THE UTTAR PRADESH REGISTRATION OF BIRTHS & DEATHS RULES 2002 [illegible]

THIS IS TO CERTIFY THAT THE FOLLOWING INFORMATION HAS BEEN TAKEN FROM THE ORIGINAL RECORD OF DEATH WHICH IS THE REGISTER FOR GRAMA PANCHAYAT DULAPUR OF TAHSIL/BLOCK LALGANJ OF DISTRICT RAEBARELI OF STATE/UNION TERRITORY UTTAR PRADESH, INDIA.

NAME OF DECEASED: SANTOSH KUMAR BAJPAI

SEX: MALE

AADHAAR NO.: [illegible]

DATE OF DEATH: [illegible]-2020 [illegible] TWO THOUSAND TWENTY

AGE OF DECEASED: [illegible] YEARS

NAME OF MOTHER:

MOTHER'S AADHAAR NO.:

ADDRESS OF THE DECEASED AT THE TIME OF DEATH: DULAPUR, LALGANJ, RAE BARELI, UTTAR PRADESH

REGISTRATION NO.: D-2020: [illegible]

REMARKS (IF ANY): -

PLACE OF DEATH: DULAPUR, LALGANJ, RAE BARELI, UTTAR PRADESH

NAME OF HUSBAND / WIFE:

HUSBAND/WIFE AADHAAR NO.:

NAME OF FATHER: RAM DATT BAJPAI

FATHER'S AADHAAR NO.:

PERMANENT ADDRESS OF DECEASED: DULAPUR, LALGANJ, RAE BARELI, UTTAR PRADESH

DATE OF REGISTRATION: 25-11-2020

DATE OF ISSUE: 25-11-2020

ISSUING AUTHORITY

REGISTRAR (BIRTH & DEATH)

GRAMA PANCHAYAT DULAPUR

UPDATED ON: 25-11-2020 [illegible]

THIS IS A COMPUTER GENERATED CERTIFICATE WHICH CONTAINS FACSIMILE SIGNATURE OF THE ISSUING AUTHORITY [illegible]